मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXII अंक 03 जून 2026

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-2
II. विनियमन	2-4
III. केंद्रीय बोर्ड में नामांकन	3
IV. प्रकाशन	4
V. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण	4

संपादक की कलम से

जून 2026 का मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू अंक एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ को रेखांकित करता है जहाँ घरेलू सुदृढ़ता बढ़ते वैश्विक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। जैसा कि 3 से 5 जून 2026 को आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक के पश्चात गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा द्वारा व्यक्त किया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था इस चरण में भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों का सामना पिछले अनुभवों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत नींव पर खड़ी होकर कर रही है। यद्यपि पश्चिम एशिया संघर्ष और सामान्य से कम मानसून की पूर्वानुमानित अनिश्चितताओं के बीच, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और तटस्थ रुख बनाए रखने का निर्णय लिया है, तथापि अंतर्निहित समष्टि-आर्थिक संकेतक मजबूती का परिचय दे रहे हैं। वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि का 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है और नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जून 2026) के अनुसार वित्तीय प्रणाली में उल्लेखनीय आघात-सहनीयता देखी गई है। इस संदर्भ में, इस अंक में मुद्रास्फीति के दबावों का सामना करते हुए संवृद्धि की गति को बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्यनीतिक नीतिगत समायोजन पर विस्तृत चर्चा की गई है।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://www.rbi.org.in/ पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

I. मौद्रिक नीति

5 जून 2026 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने 5 जून 2026 को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णयों की घोषणा की, जिसमें उन्होंने यह रेखांकित किया कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी आधार, पूर्व के ऐसे ही प्रकरणों की तुलना में, वर्तमान में अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ बना हुआ है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने, नीतिगत रेपो दर पर विचार-विमर्श करने और इस संबंध में निर्णय लेने के लिए, 3, 4 और 5 जून को बैठक की। उभरते समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय घटनाक्रमों तथा संभावना के विस्तृत आकलन के उपरांत, समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखा जाए; परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) दर 5.00 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 5.50 प्रतिशत पर बनी रहेगी। एमपीसी ने तटस्थ रुख अपनाने का भी निर्णय लिया।

वैश्विक आर्थिक परिवेश, पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनैतिक गतिरोध के कारण कमजोर हुआ है, जिससे ऊर्जा की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान आने से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। यद्यपि घरेलू मांग आघात-सह बनी हुई है और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों की गतिविधियों में विस्तार जारी हैं, किंतु कुछ क्षेत्रों में मंदी के प्रारंभिक संकेत दिखाई दे रहे हैं। मौद्रिक नीति समिति का मत है कि संघर्ष की अवधि और आपूर्ति शृंखला के पुनः बहाली की गति से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण मुद्रास्फीति और संवृद्धि के आधारभूत आकलन को लेकर पर्याप्त जोखिम बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य से कम दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्वानुमान और एल निनो के जोखिमों के कारण खाद्य पदार्थों से संबंधित संभावना भी अनिश्चित बनी हुई है।

भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संवृद्धि दर वर्ष 2025-26 में 7.6 प्रतिशत रही, जो निजी खपत और स्थिर निवेश में हुए मजबूत विस्तार तथा विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बेहतर निष्पादन के कारण संभव हो सकी। उच्च आवृत्ति वाले संकेतक यह दर्शाते हैं कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से स्थिर बनी रही हैं, तथा उच्च माल ढुलाई और बीमा लागतों के बावजूद पण्य निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि आगे, ऊर्जा और अन्य इनपुट की कीमतों में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों पर दबाव डाल सकती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर का अनुमान 6.6 प्रतिशत लगाया गया है, जोकि पहली तिमाही में 6.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, और चौथी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत पर लक्ष्य से नीचे बनी रही, जबकि मूल मुद्रास्फीति 3.7 प्रतिशत पर स्थिर रही। तथापि, अप्रैल-मई 2026 के दौरान लगभग 110 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की औसत दर पर बनी रहने वाली उच्च वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों का आंशिक प्रभाव-प्रसार मई माह से घरेलू पंप की कीमतों पर परिलक्षित होने लगा है। वाणिज्यिक एलपीजी, औद्योगिक कच्चे माल और आधारभूत धातुओं जैसी कई इनपुट की कीमतों में वृद्धि हुई है, जो सीपीआई मुद्रास्फीति पर ऊर्ध्वगामी दबाव डाल सकती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2026-27 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान 5.1 प्रतिशत लगाया गया है, जोकि पहली तिमाही में 4.2 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 5.1 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

प्रणालीगत चलनिधि अप्रैल 2026 में हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अंतिम बैठक के बाद से औसतन दैनिक आधार पर 2.63 लाख करोड़ रुपये की अधिशेष स्थिति में बनी रही है, और रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में उचित चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए अग्रसक्रिय उपाय किए हैं। वर्ष 2025-26 में सभी स्रोतों से प्राप्त ऋण में वर्ष-दर-वर्ष मजबूत 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि और आस्ति गुणवत्ता जैसे प्रणाली-स्तरीय वित्तीय मानदंड स्वस्थ बने हुए हैं। बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में, यद्यपि निरंतर व्यापार नीति संबंधी अनिश्चितताओं के कारण चालू खाते के घाटे में वृद्धि का जोखिम बना हुआ है, तथापि 29 मई 2026 की स्थिति के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 682.3 अरब अमेरिकी डॉलर की स्वस्थ स्थिति में हैं। ये आरक्षित निधि, आयात कवरेज (लगभग 11 माह) और बाह्य ऋण (89.1 प्रतिशत) सहित आरक्षित निधि पर्याप्तता के मानक मानदंडों के संदर्भ में पर्याप्त हैं। पूर्ण विवरण पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

मौद्रिक नीति समिति की बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की इकसठवीं बैठक 3 से 5 जून 2026 के दौरान आयोजित की गई थी।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2026 अर्थात मौद्रिक नीति समिति की बैठक के चौदहवें दिन, इस बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रकाशित किया। वैश्विक और घरेलू मोर्चे पर हो रहे घटनाक्रमों को देखते हुए, एमपीसी ने स्टाफ के समष्टि-आर्थिक अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की, जिसमें सर्वेक्षण परिणामों और हितधारकों के साथ परामर्श से प्राप्त इनपुट शामिल थे। एमपीसी ने संभावना के विभिन्न जोखिमों से जुड़े वैकल्पिक परिदृश्यों की भी समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

आरबीआई ने 'भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026' के मसौदे पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, जमाराशि पर ब्याज दरों के प्रकटीकरण की एकरूपता सुनिश्चित करते हुए बैंकों को उनके रुपया थोक जमाराशि के कीमत निर्धारण के लिए और अधिक लचीलापन प्रदान करने हेतु, 5 जून 2026 को निम्नलिखित संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए :

I. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026

II. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026

III. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026

IV. भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026

V. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026

VI. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026

उपर्युक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं और जन-सामान्य/अन्य हितधारकों से 20 जून 2026 तक निम्नलिखित माध्यमों से टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया मांगी गई थीं :

i. भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत प्रत्येक दस्तावेज के साथ प्रदान किए गए हाइपरलिंक, जिस पेज पर वे प्रकाशित किए गए हैं, के माध्यम से; या

ii. विषय पंक्ति 'निदेशों (संशोधन निदेशों के मसौदे के पूर्ण नाम (विनियमित संस्था के प्रकार सहित)) पर प्रतिक्रिया' लिखकर ई-मेल द्वारा। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई ने भू-संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) को उधार देने संबंधी अंतिम संशोधन निदेश जारी किए

रिज़र्व बैंक ने हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 13 फरवरी 2026 को 'भू-संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटी)' को उधार देने संबंधी अनुदेशों के संशोधन निदेश का मसौदा जारी किया था। संशोधन निदेश के उक्त मसौदे में वाणिज्यिक बैंकों को आरईआईटी को ऋण देने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया था जो कि आरईआईटी के एक्सपोज़र की विनियामकीय उच्चतम-सीमा सहित उपयुक्त विवेकपूर्ण रक्षोपायों के अधीन होगा। इसमें, आईएनवीआईटी को दिए जाने वाले उधार (वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू) संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों को आरईआईटी को दिए जाने वाले उधार संबंधी विवेकपूर्ण रक्षोपायों के साथ सुसंगत करने का भी प्रस्ताव किया गया था।

उपर्युक्त निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है, परिणामस्वरूप किए गए संशोधनों को, रिज़र्व बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है। संशोधन निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया से संबंधित एक विवरण अनुबंध में दिया गया है।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 जून 2026 को निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण सुविधाएँ) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) आठवाँ संशोधन निदेश, 2026

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण सुविधाएँ) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

(v) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - ऋण सुविधाएँ) संशोधन निदेश, 2026

विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (एसए-सीसीआर) हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण संबंधी संशोधन निदेशों के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की

वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) एक्सपोज़र की गणना करने के लिए चालू एक्सपोज़र पद्धति (सीईएम) का उपयोग किया जाए। आरबीआई ने वर्ष 2016 में, दिनांक 1 अप्रैल 2018 से क्रियान्वयन करने के लक्ष्य के साथ, 'डेरिवेटिव लेनदेन-जनित प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम के लिए एक्सपोज़र की गणना' और 'केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के प्रति बैंक एक्स्पोज़र के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं' संबंधी अंतिम दिशानिर्देश जारी किए थे और उक्त दोनों दिशानिर्देश प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत पद्धति (एसए-सीसीआर) पर आधारित थे। यद्यपि, उक्त दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया था।

तब से, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 लागू हो चुका है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर- केंद्रीय रूप से समाशोधित ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश, 2024 के अंतर्गत मार्जिनिंग ढांचे को कार्यान्वित कर दिया गया है। समय के साथ, बैंकिंग पर्यवेक्षण बासेल समिति (बीसीबीएस) ने भी एसए-सीसीआर दिशानिर्देशों पर और स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' जारी किए हैं।

इस संबंध में, गत-समय तथा हाल ही की विधिक एवं विनियामकीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, उक्त दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है। वर्ष 2016 के दिशानिर्देशों (जो कि वर्तमान में वाणिज्यिक बैंक- आगामी अनुदेश, निदेश 2025 का भाग है) और निदेशों के प्रस्तावित मसौदे के बीच, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) बैंकिंग और ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर दोनों में सीसीआर के दायरे पर स्पष्टीकरण, (ii) निवल निर्धारण और मार्जिनिंग दिशानिर्देशों की विधिक/विनियामकीय गतिविधियों को देखते हुए एकाधिक मार्जिन करारों और एकाधिक निवल निर्धारण समूहों के निष्पादन, (iii) ऐसे लेनदेन के निष्पादन जहां एक बैंक, इक्विटी डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव खंडों में

III. श्री संजय लोहिया, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को आरबीआई के केन्द्रीय बोर्ड में नामित किया गया

केन्द्र सरकार ने श्री संजय लोहिया, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को श्री नागराजू मद्दीराला के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। श्री संजय लोहिया का नामांकन 11 जून 2026 से और अगले आदेश तक प्रभावी है।

सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार के समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करता है, पर मार्गदर्शन (iv) विकल्प प्रीमियम के स्थगन संबंधी निष्पादन (v) विकल्पों के लिए प्रभावी-कल्पित की गणना संबंधी मार्गदर्शन, और (vi) एसए-सीसीआर के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट्स का समावेशन संबंधी प्रमुख बदलाव शामिल हैं।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 10 जून 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आगामी अनुदेश) संशोधन निदेश, 2026 जारी किए हैं। उपर्युक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं, बाज़ार-सहभागियों और अन्य इच्छुक पक्षकारों से 1 जुलाई 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं जिन्हें रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना था। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नियंत्रण / आश्वासन कार्यों संबंधी अनुदेशों के सामंजस्यीकरण तथा समेकन पर टिप्पणियां आमंत्रित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 जून 2026 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए:

i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-अभिशासन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक-अभिशासन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक-अभिशासन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक -अभिशासन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
v) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026
vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान -विविध) संशोधन निदेश, 2026
vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - अभिशासन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
viii) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - अभिशासन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
ix) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026
x) भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना कंपनी) संशोधन निदेश, 2026
xi) भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी - अभिशासन) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

संशोधन निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां / प्रतिक्रिया, विनियमित संस्थाओं और जन सामान्य / अन्य हितधारकों द्वारा 9 जुलाई 2026 को या उससे पहले प्रस्तुत की जानी थीं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना संबंधी परिपत्र जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2026 को अग्रणी बैंक योजना के संशोधित दिशानिर्देशों पर परिपत्र का मसौदा जारी कर जन सामान्य से प्रतिक्रिया मांगी थी। परिपत्र के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच कर ली गई है और आवश्यक संशोधनों को अग्रणी बैंक योजना पर 19 जून 2026 को जारी अंतिम परिपत्र में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है। परिपत्र के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया के मुख्य बिंदुओं और की गई कार्रवाई का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'मॉडल जोखिम प्रबंधन के लिए विनियामक सिद्धांतों पर मार्गदर्शन' का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जून 2026 को 'मॉडल जोखिम प्रबंधन के लिए विनियामक सिद्धांतों पर मार्गदर्शन' का मसौदा जन सामान्य की टिप्पणियों के लिए जारी किया है। इस मार्गदर्शन का मसौदा निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं पर लागू है: (i) वाणिज्यिक बैंक (ii) लघु वित्त बैंक (iii) भुगतान बैंक (iv) स्थानीय क्षेत्र बैंक (v) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (vi) शहरी सहकारी बैंक (vii) ग्रामीण सहकारी बैंक (viii) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (ix)गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी(x) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (xi) साख सूचना कंपनी

मार्गदर्शन के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं, जन सामान्य और अन्य हितधारकों से 24 जुलाई 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने 'एनबीएफसी-यूएल की पहचान की पद्धति की समीक्षा और सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को एनबीएफसी-यूएल में शामिल करने' तथा 'ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंड – सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी' पर संशोधित निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2026 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 'एनबीएफसी-यूएल की पहचान की पद्धति की समीक्षा और सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को एनबीएफसी-यूएल में शामिल करने' संबंधी संशोधन निदेश का मसौदा जारी किया था, जिसमें हितधारकों से 4 मई 2026 तक टिप्पणियां/प्रतिक्रिया मांगी गई थी। उक्त संशोधन निदेशों के मसौदे में प्रस्तावित किया गया था कि

(क) अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) में एनबीएफसी की पहचान की मौजूदा पद्धति को एक पारदर्शी, सरल और पूर्ण मानदंड, अर्थात ₹1,00,000 करोड़ और उससे अधिक के आकार की आस्ति, से प्रतिस्थापित किया जाए, (ख) संशोधित मानदंड के आधार पर एनबीएफसी-यूएल की सूची में शामिल करने हेतु पात्र सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी पर विचार किया जाए, (ग) सभी एनबीएफसी-यूएल को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन बिना किसी सीमा के ऋण जोखिम अंतरण लिखत के रूप में राज्य सरकार गारंटियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए, और (घ) अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार किया जाए। बैंक ने 15 जनवरी 2024 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 'ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंड - सरकारी स्वामित्व वाले एनबीएफसी' पर परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणियां भी आमंत्रित की थीं। उक्त परिपत्र के मसौदे में सरकारी एनबीएफसी को ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंडों से मामले-दर-मामले के आधार पर दी गई छूट को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया था। उक्त मसौदा निदेशों पर प्राप्त टिप्पणियों/प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित, अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। उक्त संशोधन निदेशों पर प्राप्त टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक I में दिए गए हैं, और परिपत्र के मसौदे पर प्राप्त टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक II में दिए गए हैं।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 24 जून 2026 को निम्नलिखित संशोधन

निदेश जारी किए हैं:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - पंजीकरण, छूट और मान आधारित विनियमन के लिए ढांचा) दूसरा संशोधन निदेश, 2026;

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) तीसरा संशोधन निदेश, 2026,

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026, और

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

आरबीआई ने मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव) निदेश, 2026 जारी किया

वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा और 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में उल्लेख किए अनुसार, ऋण सूचकांक पर डेरिवेटिव और कॉर्पोरेट बॉण्ड पर कुल प्रतिलाभ स्वैप शुरू करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 फरवरी 2026 को निदेश के मसौदे जारी किए थे, जिसमें बाजार सहभागियों, हितधारकों और अन्य इच्छुक पक्षकारों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। निदेश के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और तदनुसार आवश्यक संशोधन 25 जून 2026 को जारी अंतिम मास्टर निदेश में शामिल किए गए हैं। प्रमुख प्रतिक्रिया का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

IV. प्रकाशन

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2026 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफ़एसआर) का जून-2026 अंक जारी किया जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है।

मुख्य बातें

• आघातों की पुनरावृत्ति के बावजूद, वैश्विक वित्तीय प्रणाली ने अब तक उल्लेखनीय आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया है तथा पश्चिम-एशिया संघर्ष से उत्पन्न अस्थिरता के आरंभिक चरण के उपरांत बाज़ार स्थिर बने हुए हैं।

• तथापि, वैश्विक वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों की उच्च संभावना बनी हुई है। आपूर्ति शृंखला संबंधी अनिश्चितताओं के निरंतर बने रहने से वित्तीय परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं जिससे मुद्रास्फीतिगत दबाव प्रकट हो सकते हैं। इस दौरान, वर्धित लोक ऋण, भंगुर बॉन्ड बाज़ार, अवास्तविक आस्ति मूल्यांकन और ऋण-भारित एनबीएफ़आई, कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जो भावी आघातों को बढ़ा सकते हैं।

• भारत की दृढ़ समष्टि-आर्थिक बुनियाद इसे अपने कई समकक्षों से दृढ़तर स्थिति में स्थापित करती है और पूर्व के संकटपूर्ण दौर की तुलना में बाह्य आघातों के प्रति अधिक आघात-सहनीयता प्रदान करती हैं।

• पूंजी प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अंतरिम शांति समझौते और हाल के नीतिगत उपायों के समर्थन से जोखिमों का संतुलन हमारे अनुकूल हो गया है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन - जून 2026

रिज़र्व बैंक ने 22 जून 2026 को अपने मासिक बुलेटिन का जून 2026 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में एक भाषण, एक आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

उक्त आलेख अर्थव्यवस्था की स्थिति संबंधी है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए अंतरिम शांति समझौते के बावजूद, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार में व्यवधान जारी रहे। चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच, निजी खपत और नियत निवेश के समर्थन से भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। पहले दो महीनों के उच्च-आवृत्ति संकेतक 2026-27 में सतत आर्थिक संवेग दर्शाते हैं। मई में तेजी के बावजूद, सीपीआई-मुद्रास्फीति स्थिर बनी रही। एफ़डीआई अंतर्वाह और पर्याप्त विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के समर्थन से भारत का बाह्य-क्षेत्र आघात-सह बना रहा। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण

जून 2026 के महीने के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आँकड़े और सर्वेक्षण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं	शीर्षक
1	भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) के निर्यात: 2025-26 पर सर्वेक्षण प्रारंभ किया
2	भारतीय रिज़र्व बैंक ने म्यूच्युअल फंड की विदेशी देयताओं और आस्तियों पर सर्वेक्षण प्रारंभ किया: 2025-26 दौर
3	भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आईटीबीएस) पर सर्वेक्षण: 2025-26 की शुरुआत की
4	शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
5	मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण
6	ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
7	समष्टि आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण – 100वें चक्र का परिणाम
8	अप्रैल 2026 के लिए ईसीबी / एफसीसीबी / आरडीबी पर डेटा जारी
9	वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े
10	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), मार्च 2026
11	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – मई 2026

श्री ब्रिज राज द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।